EAST CENTRAL RAILWAY

(SONPUR DIVISION)

OPEN E- TENDER NOTICE NO. : S&T/SEE/E-OT/26-27/13 **Date: 10.06.2026**

E-tendering 'OPEN' tenders are invited by Senior Divisional Signal & Telecom Engineer / East Central Railway / Sonpur for and on behalf of President of India from competent and experienced Contractors for execution of the under mentioned work on the following section as per following program :-

Item No.	Tender No.	Name of Work	Approx Cost (In Rs.)	Earnest Money (In Rs.)	Cost of Tender document (In Rs)	Last date and time for the receipt of the tender document.	Date & time of opening of the tender.	Completion period.
1	*S&T/ SEE/ E-OT/ 26-27/13*	**Provision of Warning alarm of failure of track feed charger at 42 stations alongwith switching between critical track circuits over sonpur Division.**	**2,37,47,496.01**	**4,75,000.00**	0.00	**06.07.2026 upto 12.00 hrs**	**06.07.2026 at 12.30 hrs.**	09 (Nine) Months from date of issue of LOA

NOTE :

1. Validity of offer should be **60** days from the date of opening.
The tenderers shall keep the offer open for a minimum period of **60 days** from the date of opening of tender and being extendable further if required by mutual agreement from time to time. Any contravention of the above conditions will make the tenderer liable for forfeiture of his Earnest Money deposit. **The tenderer cannot withdraw their offer within the period of validity/extended validity.**

2. Earnest money :

PARTICULAR OF EARNEST MONEY :

Earnest Money and Tender Document Cost: Payment of Earnest Money deposit (EMD) should be accepted through net banking or payment gateway only & Tender Document Cost (TDC): Nil.

NOTE:- If the tenderers submit earnest money in any form other than prescribed above, their tender will be summarily rejected.

3. Availability of Tender document :-

Tender Document Cost: Payment of Tender Document Cost (TDC) : Nil.

3.1 The tender document can also be **fill-up** from Railway's web site **www.ireps.gov.in**, at least from **15** days the date of opening. **Payment of Earnest Money deposit (EMD) : should be accepted through net banking or payment gateway only**

4. Eligibility Criteria:

4.1 Technical Eligibility Criteria:

(a) The tenderer must have successfully completed any of the following during last 07 (seven) years, ending last day of month previous to the one in which tender is invited:

Three similar works each costing not less than the amount equal to 30% of advertised value of the tender,
or
Two similar works each costing not less than the amount equal to 40% of advertised value of the tender,
or
One similar work each costing not less than the amount equal to 60% of advertised value of the tender.

Signature Not Verified
Digitally signed by KRISHNA KUMAR
Date: 2026.06.10 17:15:44 IST
Reason: IREPS-CRIS
Location: New Delhi

(b) (i) In case of composite works (e.g. works involving more than one distinct component, such as Civil Engineering works, S&T works, Electrical works, OHE works etc. and in the case of major bridges – substructure, superstructure etc.), tenderer must have successfully completed any of the following during last 07 (seven) years, ending last day of month previous to the one in which tender is invited:

Three similar works each costing not less than the amount equal to 30% of advertised value of each component of tender,

or

Two similar works each costing not less than the amount equal to 40% of advertised value of each component of tender,

or

One similar work each costing not less than the amount equal to 60% of advertised value of each component of tender.

Note

b(i): Separate completed works of minimum required values for each component shall also be considered for fulfillment of technical eligibility criteria.

(b)(ii) In such cases, what constitutes a component in a composite work shall be clearly pre-defined with estimated tender cost of it, as part of the tender documents without any ambiguity.

(b) (iii) To evaluate the technical eligibility of tenderer, only components of work as stipulated in tender documents for evaluation of technical eligibility, shall be considered. The scope of work covered in other remaining components shall be either executed by tenderer himself if he has work experience as mentioned in clause 7 (a) (ii) of Part-II of GCC or through subcontractor fulfilling the requirements as per clause 7 of Part-II of GCC or jointly i.e., partly himself and remaining through subcontractor, with prior approval of Chief Engineer in writing.

However, if required in tender documents by way of Special Conditions, a formal agreement duly notarised, legally enforceable in the court of law, shall be executed by the main contractor with the subcontractor for the component(s) of work proposed to be executed by the subcontractor(s), and shall be submitted along with the offer for considering subletting of that scope of work towards fulfilment of technical eligibility.

In case after award of contract or during execution of work it becomes necessary for contractor to change subcontractor, the same shall be done with subcontractor(s) fulfilling the requirements as per clause 7 of Part-II of GCC, with prior approval of Chief Engineer in writing.

Note for Item 4.1:

Work experience certificate from private individual shall not be considered. However, in addition to work experience certificates issued by any Govt. Organization, work experience certificate issued by Public listed company having average annual turnover of Rs 500 corer and above in last 3 financial years Excluding the current financial year, listed on National Stock Exchange or Bombay Stock Exchange, incorporated/registered at least 5 years prior to the date of opening of tender, shall also be considered provided the work experience certificate has been issued by a person authorized by the Public listed company to issue such certificates.

In case tenderer submits work experience certificate issued by public listed company, the tenderer shall also submit along with work experience certificate, the relevant copy of work order, bill of quantities, bill wise details of payment received duly certified by Chartered Accountant, TDS certificates for all payments received and copy of final/last bill paid by company in support of above work experience certificate.

4.2. Financial Eligibility Criteria:

Financial Eligibility Criteria: The tenderer must have minimum average annual contractual turnover of V/N or 'V' whichever is less; where

V= Advertised value of the tender in crores of Rupees

N= Number of years prescribed for completion of work for which bids have been invited.

The average annual contractual turnover shall be calculated as an average of "total contractual payments" in the previous three financial years, as per the audited balance sheet. However, in case balance sheet of the previous year is yet to be prepared/ audited, the audited balance sheet of the fourth previous year shall be considered for calculating average annual contractual turnover.

The tenderers shall submit requisite information as per Annexure-VIB, along with copies of Audited Balance Sheets duly certified by the Chartered Accountant/ Certificate from Chartered Accountant duly supported by Audited Balance Sheet.

Note:- The balance sheet and all financial documents attested/certified by the Chartered Accountant (CA) to substantiate fulfilment of Financial Eligibility Criteria should be with UDIN, Falling which the offer shall be considered as incomplete and will be Summarily rejected without any further reference

Note for 4.2

Client certificate from other than Govt Organization should be duly supported by Form 16A/26AS generated through TRACES of Income Tax Department of India

4.3. Bid Capacity: The tender/technical bid will be evaluated based on bid capacity formula detailed as Annexure-VI.

4.4 No Technical and Financial credentials are required for tenders having value up to Rs 50 lakh.

5.0 <u>Mode of submission of tender:-</u>

5.1 The tenderer must submit full Earnest money with the offer without which the tender shall be summarily rejected.

5.2 Railway Administration reserves the right to postpone /modify/reject or to cancel any one or all the tenders with out assigning any reasons thereof.

5.3 The tenderer shall keep the offer open for a minimum period of **60 (Sixty) days** from the date of opening of the E-tender or up to the period being extended further if required by mutual agreement from time to time. If tenderer withdraws his offer or change in condition, which is not acceptable to Railway administration, the full earnest money deposited by the tenderer will be withheld by Railway Administration.

5.4 The other terms and conditions pertaining to tender is illustrated in the tender document.

5.5 JVs/Consortiums/MOU shall not be considered.

5.6 Payment to the contractor will be made through EFT/ECS.

If the tenderers deliberately gives a wrong information, whose credentials / documents in his / their tenders and thereby create(s) circumstances for acceptance of his / their tender, Railway reserves the right to reject such tender at any stage, besides, shall suspend the business for one year.

AMOD KUMAR SINGH

Digitally signed by AMOD KUMAR SINGH
Date: 2026.06.10 16:42:24 +05'30'

(Amod Kumar Singh)
Divisional Signal & Telecom Engineer
East. Central Railway./ Sonpur
For and on Behalf of President of India

पूर्व मध्य रेल
सोनपुर मंडल

खुली ई-खुली निविदा सूचना संख्या: एस&टी/सोनपुर/ई-खुली निविदा/26-27/13 दिनांक: 10.06.2026

वरिष्ट मंडल सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर/सोनपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए ***खुली ई-निविदा*** तथा उनकी ओर से सक्षम एवं अनुभवी संवेदकों से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-टेंडरिंग के तहत खूली निविदायें आमंत्रित की जाती है :-

क. सं.	*निविदा सं.*	*कार्य का नाम*	*अनुमानित लागत (रू) में*	*बयाने की राशि (रू) में*	*निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू) में*	*ई-निविदा की अंतिम तिथि एवं समय*	*ई-निविदा प्रपत्र खुलने की तिथि एवं समय*	*समापन अवधि*
1	एस&टी/ सोन./ ई-खुली निविदा/ ***26-27/13***	सोनपुर डिवीजन में 42 स्टेशनों पर ट्रैक फ़ीड चार्जर के फेल होने पर चेतावनी देने वाले अलार्म की व्यवस्था और साथ ही महत्वपूर्ण ट्रैक सर्किट के बीच स्विचिंग की सुविधा।	**2,37,47,496.01**	**4,75,000.00**	0.00	**06.07.2026 12.00 बजे तक**	**06.07.2026 12.30 बजे**	एल.ओ.ए. जारी होने की तिथि से 09 (नौ) माह तक।

निविदा की वैद्यता - निविदा खुलने की तिथि से ***60*** दिन तक ।

समस्त निविदादाता निविदा खुलने के ***60*** दिन तक अपने निविदा आफर खुले रखेगें और आवश्यकतानुसार समय-समय पर आपसी सहमति से वैधता तिथि को भी बढ़ायेंगे। उपर्यक्त शर्तो से हटने की दशा में निविदादाता द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी। निविदादाता अपने आफर को वैधता तिथि / बढ़ाई गई वैधता तिथि में वापस नही ले सकते हैं।

1. धरोहर राशि :

1.1 धरोहर राशि का विवरण:

बयाने और निविदा दस्तावेज लागत: बयाने जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान, नेट बैकिंग या भुगतान के प्रवेश द्वार के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा और ई-टेंडरिंग के सम्बन्ध में निविदा दस्तावेज की लागत (टीडीसी): शून्य ।

नोट: यदि निविदादाता द्वारा धरोहर राशि किसी अन्य रूप में उपयुक्त प्रस्तावित को छोड़कर जमा करता है तो उनका निविदा दस्तावेज/निविदा फार्म तुरंत रद्ध कर दिया जाएगा।

2. ***निविदा दस्तावेज की उपलब्धता :-***

2.1 निविदा दस्तावेज भी फिल-अप (Fill-up) रेलवे की बेब साइट **www.ireps.gov.in** पर निविदा खुलने के कम से कम ***15*** दिन पहले से प्रयोग किया जा सकता है।

3.0 पात्रता मापदंड

3.1 तकनीकी योग्यता मानदंड:

(क) निविदाकार ने पिछले 07 (सात) वर्षो के दौरान निम्नलिखित में से किसी एक को जिस माह में निविदा आमंत्रित किया गया हो उसके पुर्व के माह की अंतिम तिथि तक सफलतापूर्वक अवश्य पूरा कर लिया हो:

- निविदा के विज्ञापित प्रत्येक मूल्य के 30% के बराबर राशि से कम नहीं होने वाले तीन समान कार्य, या
- निविदा के विज्ञापित प्रत्येक मूल्य के 40% के बराबर राशि से कम नहीं होने वाले दो समान कार्य, या
- निविदा के विज्ञापित प्रत्येक मूल्य के 60% के बराबर राशि से कम नहीं होने वाला एक समान कार्य।

(ख)(i) संयुक्त कार्यो के मामलो में (उदाहरण के लिए एक से अधिक विशिष्ट घटक, जैसे सिविल इंजीनियरिगं काम, सिगनल एवं दूर संचार, विद्युत कार्य, ओएचई कार्य आदि एवं प्रमुख पुलों के मामले में-संरचना, अधिरचना), निविदाकार शामिल ने पिछले 07 (सात) वर्षो के दौरान निम्नलिखित में से किसी एक को जिस माह में निविदा आमंत्रित किया गया हो उसके पुर्व के माह की अंतिम तिथि सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

- निविदा के प्रत्येक घटक के विज्ञापित प्रत्येक मूल्य के 30% के बराबर राशि से कम नहीं होने वाले तीन समान कार्य,या
- दो समान कार्य जो निविदा के प्रत्येक घटक के विज्ञापित प्रत्येक मूल्य के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है, या
- निविदा के प्रत्येक घटक के विज्ञापित प्रत्येक मूल्य के 60% के बराबर राशि से कम नहीं होने वाला एक समान कार्य।

नोट: प्रत्येक घटक के लिए न्यूनतम आवश्यक मूल्यों के अलग-अलग पूर्ण कार्यो को तकनीकी योग्यता मानदंडों की पूर्ति के लिए भी माना जाएगा।

(*ख*)(ii) ऐसे मामलों में, एक समग्र कार्य में एक घटक का गठन स्पष्ट रूप से इसकी अनुमानित निविदा लागत के साथ पूर्व-परिभाषित किया जाएगा, बिना किसी अस्पष्टता के निविदा दस्तावेजों के हिस्से के रूप में।

(*ख*)(iii) टेंडर की तकनीकी योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए, तकनीकी योग्यता के मूल्यांकन के लिए निविदा दस्तावेजों में निर्धारित कार्य के केवल घटकों पर विचार किया जाएगा। अन्य शेष घटकों में शामिल कार्य का दायरा या तो स्वयं निविदाकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाएगा यदि उसके पास कार्य अनुभव है जैसा कि जीसीसी के भाग- II के खंड 7 (ए) (ii) में वर्णित है या उपखंड के माध्यम से भाग 7 के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करना है। जीसीसी का -II या संयुक्त रूप से, आंशिक रूप से खुद और शेष उप-ठेकेदार के माध्यम से, लिखित रूप में मुख्य अभियंता की पूर्व स्वीकृति के साथ।

हालांकि, यदि विशेष शर्तों के अनुसार निविदा दस्तावेजों में आवश्यक होए तो कानून की अदालत में कानूनी रूप से लागू होने वाले एक औपचारिक समझौते को विधिवत रूप से लागू किया जाएगाए मुख्य ठेकेदार द्वारा घटक के काम के लिए उपठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा। उपकुलपति (एस), और तकनीकी पात्रता की पूर्ति की दिशा में कार्य के उस दायरे पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुबंध के पुरस्कार के बाद या काम के निष्पादन के दौरान ठेकेदार के लिए उप-ठेकेदार बदलने के लिए यह आवश्यक हो जाता हैए वही उप-ठेकेदार (एस) के साथ जीसीसी के भाग- II के खंड 7 के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाएगा। लेखन में मुख्य अभियंता।

मद सं0 4.1 के लिए नोट:-

- निजि व्यक्ति से कार्य अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाकि, किसी भी सरकार द्वारा जारी किये गये कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के अलावा संगठन, पिछले 3 वित्तिय वर्षो में 500 करोड़ रूपये और उससे अधिक की वार्षिक आय वाले सार्वजनिक सूचिबद्ध कंपनी द्वारा जारी किये गये कार्य अनुभव प्रमाण पत्र टेन्डर खोलने की तारीख से 5 साल पहले निगमित / नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध वर्तमान वित्तिय वर्ष को छोड़कर, यह भी माना जाएगा कि कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जनता द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति किसी द्वारा जारी किया गया है।
- मामला निविदाकर्ता सार्वजनिक सूचिबद्ध कंपनी द्वारा जारी किये गये कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, निविदाकर्ता को कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, कार्य आदेश की प्रासंगिक प्रति, राशियों की बिल की मात्रा, भुगतान का बिलवार विवरण चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणिक होना चाहीए, सभी के लिए प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त अनुभव प्रमाण पत्र के समर्थन में कम्पनी द्वारा भुगतान किए गये अंतिम / अंतिम बिल की भुगतान प्राप्त की गई प्रति।

4.2 ***वित्तीय योग्यता मानदंड:***

वित्तीय पात्रता मानदंड: निविदाकर्ता का न्यूनतम औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार V/N या ' V ' जो भी कम हो;;

कहाँ पे

V= निविदा का विज्ञापित मूल्य करोड़ रुपये में

N = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार की गणना पिछले तीन वित्तीय वर्षों में "कुल संविदात्मक भुगतान" के औसत के रूप में की जाएगी, लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार। तथापि, यदि पिछले वर्ष की तुलन-पत्र अभी तक तैयार/लेखापरीक्षित नहीं है, तो औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार की गणना के लिए चौथे पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित तुलन-पत्र पर विचार किया जाएगा।

निविदाकर्ता अनुलग्नक-VIB के अनुसार अपेक्षित जानकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों की प्रतियों/ लेखापरीक्षित तुलन-पत्र द्वारा समर्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण-पत्र की प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 ***बोली क्षमता:***

अनुलग्नक-6 के रूप में विस्तृत बोली क्षमता सूत्र के आधार पर निविदा/तकनिकी बोली का मूल्यांकन किया जाएगा।

4.4 50 लाख रूपये तक के निविदाओं के लिए कोई तकनिकी और वित्तिय प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं हैं।

5.0. ***निविदा जमा करने की विधि :***

5.1 अग्रधन राशि सभी निविदाताओं को जमा करनी होगी। जिन निविदाओं के साथ अपेक्षित राशि संलग्न नहीं होगी, उन्हें संक्षिप्तत: अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

5.2 रेलवे प्रशासन को, किसी भी समय बिना कारण बताये कोई एक या सारी निविदाओं को स्थगित/संशोधित/अस्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

5.3 संवेदक अपनी ई-निविदा की वैद्यता निविदा खुलने की तिथि से कम से कम ***60*** (***साठ***) दिन रखेगें । अगर जरूरी हुआ तो इस वैद्यता को आपसी अनुबंध द्वारा समय - समय पर बढ़ाया जा सकता है। यदि संवेदक अपनी निविदा अथवा उसमें उल्लिखित शर्तो में कोई संशोधन करना चाहता है जो रेल प्रशासन को स्वीकार्य नही है, उसकी सम्पूर्ण अग्रधन राशि रेल प्रशासन द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

5.4 निविदा से संबंधित अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र में उल्लिखित है।

5.5 हिन्दी में प्रकाशित शर्तो में यदि कोई विषमता होगी तो अंग्रेजी में प्रकाशित शर्त मान्य होंगी।

5.6 जेवीस/कन्सोर्टियम्स/एम.ओ.यू/ पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5.7 ठेकेदार को भुगतान ईएफटी/ईसीएस द्वारा किया जाएगा।

-यदि कोई निविदादाता जान-बूझकर अपने अनुभव प्रमाणपत्रों के रूप में गलत सूचना देता है जिसके आधार पर उसकी निविदा स्वीकार करने की परिस्थितियां बन्ती है, रेलवे इस प्रकार की निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इसके साथ ही ऐसे निविदादाता के साथ व्यापार एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

AMOD KUMAR SINGH

Digitally signed by AMOD KUMAR SINGH
Date: 2026.06.10 16:42:53 +05'30'

(आमोद कुमार सिहं)
मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजिनीयर
पूर्व मध्य रेल, सोनपुर
भारत के राष्ट्रपति के लिए व उनकी ओर से